भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

भूमि वापसी वाद संख्या–21 / 2021–22

सनातन टुडू —बनाम— अजित सिंह

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	की गई कार्रवाई

10/10/22

आवेदक सनातन टुडू, पिता–स्व0 गोपाल माझी, सा0–डिमना बस्ती, अ0क्षे0, मानगो, वार्ड सं0–09, जिला–पूर्वी सिंहभूम से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969, के अंर्तगत भूमि वापसी के लिए प्राप्त आवेदन पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अधीन इस वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस वाद में अजित सिंह, पिता–अज्ञात, सा0–आनन्द विहार कॉलोनी, थाना–एम0जी0एम0, जिला–पूर्वी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद की प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है–

भूमि का विवरण

मौजा	वार्ड सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
अ0क्षे0 मानगो	**09**	**491**	**1786**	**40'X72'**

उपरोक्त भूमि पर जवाबदावा प्रस्तुत करने हत उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में मूल रुप में संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि आवेदित भूमि मौजा अ0क्षे0 मानगो, वार्ड सं0–09, खाता सं0,–491 प्लॉट सं0–1786, रकवा–40'X72', खतियानी–सनातन टुडू के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी अजित सिंह, पिता–अज्ञात, सा0–आनन्द विहार कॉलोनी, थाना–एम0जी0एम0, जिला–पूर्वी सिंहभूम पर अवैध कब्जा में है। उक्त भूमि को विपक्षी के द्वारा 2019 से दखल कब्जा किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक –11.03.2022 को अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया, जो मूल रूप से अभिलेख में संलग्न है। आवेदक के ओर सें द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि :–

1- That the land measuring 70ft X 40ft i.e 2800 sq. ft being plot No. 1786, Under Khata No. 491 recorded under Survey Ward No.9 MNAC, P.S-Mango, in town Jamshedpur, Dist East Singhbhum (referred to as the said land) is the subject matter of this case and petition

2- That the person named "SURJIT SINGH PANESWAR" is not residing in the Anand Bihar Colony, Dimna, P.S. Mango, in town Jamshedpur, Dist East Singhbhum and therefore the encroachment/occupied in question is not applicable in this case

It is therefore prayed that your honour would be graciously pleased to drop the proceeding for the sake of justice.

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम पक्ष के ओर से दिनांक–17/02/2022 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमे निम्नलिखित तथ्यो उल्लेखित है :–

1. यह विवादित भूमि मौजा अ0क्षे0 मानगो, वार्ड सं0–09, खाता सं0, –491 प्लॉट सं0–1786, रकवा–40'X72' आवेदक की रैयती भूमि है।
2. यह की आवदेक की जमीन हरीश सिंह पाण्डेय अन्य विपक्षी वीरेंदर सिंह के पिता द्वारा खेती करने के लिए आवेदक के दादाजी–लिलु माझी से लिया गया था जिन्होने बाद में उल्लेखित अन्य लोगो को गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित कर दिया।
3. यह की लिलु माझी की मृत्यु के उपरांत आवेदक के पिता स्व0 गोपाल टुडू ने विपक्षी को एवं उनके परिवार वालो को बहुत वार जमीन खाली करने के लिए कोशिश किये परन्तु असफल रहे।
4. यह की जब आवेदक को पता चला की विवादित जमीन उनके पूर्वजो के नाम खतियानी में दर्ज है और आवेदक वर्तमान में रैयत है तब उन्होने महाशय के न्यायालय में भू–वापसी वाद दाखिल किये है ताकि उनक जमीन में उन्हे दखल मिल सकें।
5. यह की आवेदक आदिवासी समुदाय के सदस्य और मौजा डिमना में वर्षो से उनके पूर्वज रहते आ रहे है, वर्तमान में आवेदक भी मौजा डिमना में रहते है।
6. यह की विपक्षीगण गैर आदिवासी है एवं जबरन आदिवी जमीन कब्जा कर के रखते है।

अभिलेख में संलग्न कागजात, प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा एवं अंचल अधिकारी जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी के द्वारा कोई भी ऐसा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि आवेदक या उसके पूर्व के उत्तराधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण विपक्षी या उसके पूर्व के उत्तराधिकारी को किया गया है। विपक्षी के द्वारा बिना किसी वैध स्वामित्व एवं हक के उक्त भूमि पर दखल कब्जा कर लिया गया है। आदिवासी खाते के भूमि के हस्तांतरण के लिये सी0एन0टी0 एक्ट के तहत् उपायुक्त महोदय के द्वारा अनुमति दी जाती है। आदिवासी एवं आदिवासी के बीच में भी हस्तांतरण में उपायुक्त महोदय का पूर्व अनुमति आवश्यक है। विपक्षी के द्वारा आदिवासी खाते कि हस्तांतरण के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज या उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्गत कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवैध तरीका से किया गया कोई भी हस्तांतरण वैध नहीं हो सकता है। विपक्षी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) आर्कषित करता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत(वाद में निहित भूमि) भूखण्ड़ से विपक्षी को हटा कर उसका दखल कब्जा जीवित खतियानी रैयत या उनके जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाय। तदनुसार अंचल अधिकारी, मानगो को दखल– दिहानी परवाना निर्गत करें। अंचल अधिकारी, मानगो को आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। उभय पक्ष की आदेश दिखावें।

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.29 11:43:20 +05:30
Location: 10.93.20.53

उपायुक्त
(अधि0 के अन्त0)

लेखापित

उपायुक्त
(अधि0 के अन्त0)

Scanned with OKEN Scanner